राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांकः ए.4( )लेखा/प्रतिबद्ध/2017–18/ दिनांक :–

समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (जोन)
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सेटेलाईट हॉस्पीटल/
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय।
विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, जयपुर।
समस्त सहायक औषधी नियंत्रक।
समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी क्षय निवारण केन्द्र/के.एन.टी.बी.सी. अजमेर।
समस्त जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई।
संयुक्त निदेशक एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
राजकीय विश्लेषक, जयपुर।
मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर।

विषय :– मा0 न्यायालयों/न्यायिक अधिकरणों/ट्रिब्नलस द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णयों की अनुपालना हेतु बजट की मांग भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत यह देखा गया है कि मा0 न्यायालयों/न्यायिक अधिकरणों/ट्रिब्नल्स द्वारा विभाग के विरूद्ध चल रहे प्रकरणों में दिये गये न्यायिक निर्णयों की अनुपालना हेतु अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किये बिना ही बजट आंवटन की मांग प्रेषित कर दी जाती है जिसके कारण बजट आंवटन किया जाना संभव नहीं हो पाता है। अतः ऐसे प्रकरणों में बजट आंवटन की मांग निम्न प्रक्रियानुसार प्रेषित करावें ताकि यथा समय बजट आंवटन की कार्यवाही की जाकर समय पर न्यायिक निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके:–

1. न्यायिक निर्णयों पर सरकार द्वारा आगे अपील न करने का सक्षम स्तर से निर्णय करावें।
2. नो अपील के निर्णय उपरान्त वित्त विभाग द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट में प्रकरण प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी कराने हेतु प्रस्ताव अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित) मुख्यालय को प्रेषित करावें ।
3. प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त बजट आंवटन की मांग स्वीकृति अनुसार संबंधित लेखा मद में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करावें ।

-sd-
(जे.एल.जांगिड)
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– ए–4 ( ) लेखा/प्रतिबद्ध/2017–18 36 दिनांक : 19/5/17

प्रतिलिपिः–1. अतिरिक्त निदेशक (प्राशासन/राजपत्रित) एवं उप विधि परामार्शी मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में अपने स्तर पर भी अधीनस्थ कार्यालयों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करावें ।

2. प्रभारी सर्वर, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

(जे.एल जांगिड़)
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर